संसाधन-हीन परिस्थितियों (सेटिंग्स) में अनुसन्धान हेतु **वैश्विक आचार संहिता**

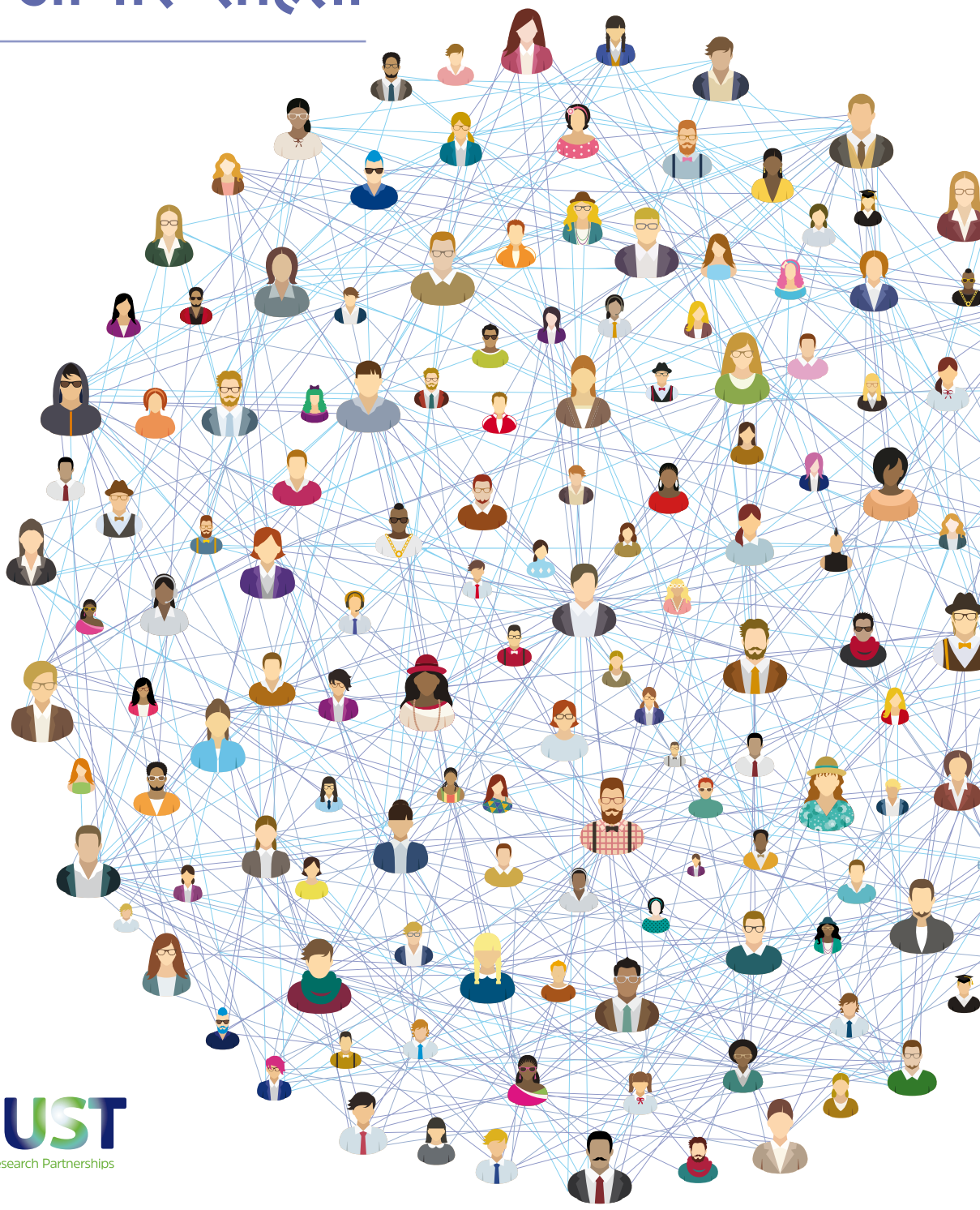

TRUST
Equitable Research Partnerships

www.globalcodeofconduct.org/

संसाधन-हीन परिस्थितियों (सेटिंग्स) में अनुसन्धान हेतु **वैश्विक आचार संहिता**

उच्च-आय एवं निम्न-आय वाली सेटिंग्स के बीच अनुसन्धान भागीदारी दोनों पक्षों के लिए अत्यन्त लाभान्वित हो सकती है। अथवा वे आचार संहिता के नियमों की अवहेलना कर सकते हैं जिससे निम्न-आय वाली सेटिंग्स में अनैतिक अनुसंधान प्रथाओं का क्षेपण (डंपिंग) होने की संभावना है।

संसाधन-हीन सेटिंग्स में यह अनुसंधान हेतु वैश्विक आचार संहिता नैतिकता डंपिंग का प्रतिकार निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:

- सभी शोध विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करके;
- उच्चतम सुगम्यता प्राप्त करने के लिए, सरल भाषा में स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण की प्रस्तुति करके;
- ऐसे अनुसन्धान सहयोग कार्यों पर ध्यान केंद्रीत करके जो क्षमता, संसाधन और ज्ञान के अत्यन्त असंतुलन को संबोधित करने के लिए आवश्यक हो;
- निष्पक्षता, सम्मान, अभिभाव और ईमानदारी के मूल्यों पर आधारित एक नवीन ढांचे का प्रयोग करके;
- संहिता के आलम्बन के लिए अभ्यास सामग्री और संबंधित जानकारी का विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाके; तथा
- संसाधन-हीन सेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय आचार संहिता की अनुसंधान अखंडता के मूल्यों का अनुपूरण करके;

इस 'संहिता' का पालन करने वाले शोध-कार्य में दोहरे मानकों का विरोध करते हैं और निष्पक्षता, सम्मान, अभिभाव और ईमानदारी पर आधारित निम्न-आय और उच्च-आय वाली सेटिंग्स के भागीदारों के बीच दीर्घकालिक और न्यायसंगत अनुसंधान हेतु पारस्परिक संबंधों का समर्थन करते हैं।

निष्पक्षता

अनुच्छेद 1
अनुसंधान की स्थानीय प्रासंगिकता आवश्यक है और वो स्थानीय सहभागियों के सहयोग से निर्धारित की जानी चाहिए। जिस शोध की कोई स्थानीय प्रासंगिकता नहीं है, वो लाभदायक होने के स्थान पर बोझ बन जाते हैं।

अनुच्छेद 2
जहां तक संभव हो सके, स्थानीय समुदायों और शोध प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, योजना बनाने से लेकर अध्ययन-पश्चात प्रतिपुष्टि और मूल्यांकन तक में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ है। यह पद्धति अच्छी सहभागीता कार्यप्रणाली (गुड पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिस) का प्रतिनिधित्व करता है।

अनुच्छेद 3
अनुसंधान के निष्कर्षों की प्रतिपुष्टि स्थानीय समुदायों और शोध प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसे ऐसे तरीके से उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो अर्थपूर्ण, उपयुक्त और आसानी से समझा जा सके।

अनुच्छेद 4
अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान जहां भी संभव हो, स्थानीय शोधकर्ताओं को, शोध परिकल्पना, शोध कार्यान्वयन, आंकड़ों का स्वामित्व, बौद्धिक संपदा, तथा प्रकाशनों के लेखकत्व में शामिल किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 5
शोधकर्ताओं का किसी भी जैविक या कृषि संसाधन, मानवी जैविक सामग्री, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक कलाकृतियों या खनिज जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों तक की पहुंच उनके मालिकों या संरक्षकों की स्वच्छन्द और अग्रिम सहमति पर निर्भर होना चाहिए। शोधकर्ताओं को किसी भी सामग्री या सूचनाओं का हस्तांतरण, उन औपचारिक समझौतों द्वारा संचालित होना चाहिए जो संसाधन संरक्षकों या ज्ञान धारकों के सानिध्य में विकसित हुवा हो।

अनुच्छेद 6
कोई भी शोध जो जैविक सामग्री और संबंधित जानकारी जैसे पारंपरिक ज्ञान या आनुवंशिक अनुक्रम आंकड़ा संबंधित जानकारी का उपयोग करता है, उन्में संभावित वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लाभों की उतपत्ती के बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। शोध के विकसित होने के साथ उसके हितलाभ को साझा आवंटन करने के लिए और उसकी नियमित रूप से समीक्षा करने के प्रयोजन पर सभी सम्बंधित हितधारकों को एक उचित सांस्कृतिक योजना से सहमत होना चाहिए। उच्च आय वाली सेटिंग्स के शोधकर्ताओं को कम-क्षमता वाले पक्षों के सामर्थ्य और संसाधन के अंतरों से अवगत रहते हुए उन्हें हितलाभ-सहभाजन चर्चाओं में शामिल करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए।

अनुच्छेद 7
स्थानीय शोध परियोजनाओं में योगदान देने वाले, उदाहरण के लिए अनुवादकों, दुभाषियों या स्थानीय समन्वयकों को, उचित रूप से प्रतिफल देना आवश्यक है।

सम्मान

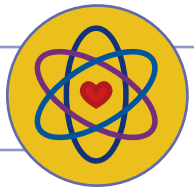

अनुच्छेद 8
परंपरागत प्रथाओं के उल्लंघन से बचने के लिए, अनुसंधान प्रतिभागियों को अनुसंधान से पहले स्थानीय समुदायों, शोध प्रतिभागियों और स्थानीय शोधकर्ताओं के साथ मिलकर संभावित सांस्कृतिक संवेदनाओं का पता लगाना चाहिए। शोध प्रतिभागियों के लिए अनुसंधान एक स्वैच्छिक अभ्यास है। यह विभिन्न नैतिक मूल्यों को जबरदस्ती मढ़ने के लिए कोई लक्ष्य-संचालित अभ्यास नहीं है। उच्च आय वाली सेटिंग्स के शोधकर्ता यदि स्थानीय हितधारकों की स्वीकार्य शोध पद्धति से सहमत नहीं हैं, तो वह शोध नहीं होना चाहिए।

अनुच्छेद 9
आवश्यकता पड़ने पर, मान्य स्थानीय विन्यासों द्वारा सामुदायिक सहमति की प्राप्ती की जानी चाहिए। यद्यपि व्यक्तिगत सहमति से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, सामुदायिक सहमति एक नैतिक पूर्वापेक्षा हो सकती है और यह पूरे समुदाय के प्रति एक सम्मान का प्रतीक होगा। स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना शोधकर्ता की ज़िम्मेदारी है।

अनुच्छेद 10
जहां तक संभव हो स्थानीय नैतिक मूल्यों की समीक्षा करनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान परियोजनाएं, मेज़बान देश के शोध आचार संहिता समिति द्वारा, जहाँ भी वह नियोजित है, अनुमोदित किया गया हो, भले ही उस परियोजना को उच्च आय वाली सेटिंग्स के शोध आचार संहिता समिति द्वारा पहले से अनुमोदन प्राप्त हो चुका हो।

अनुच्छेद 11
उच्च आय वाली सेटिंग्स के शोधकर्ताओं को मेज़बान देश की शोध आचार संहिता समिति का सम्मान करना चाहिए।

अभिभाव

अनुच्छेद 12
यथार्थ को समझने और बेहतर निर्णय लेने के लिए सूचित सहमति प्रक्रियाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए।

अनुच्छेद 13
चिंता व्यक्त करने के लिए सभी शोध प्रतिभागियों और स्थानीय भागीदारों को अनुसंधान प्रक्रिया से जुड़ी प्रतिक्रिया, शिकायत या दुर्व्यवहार के आरोपों के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए एक स्पष्ट कार्यप्रणाली पेश किया जाना चाहिए जो अनुसन्धान प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दों पर वास्तविक और उचित अभिगम प्रदान करे। इस प्रक्रिया में स्थानीय भागीदारों की सहमति अनुसंधान के प्रारंभ से ही होनी चाहिए।

अनुच्छेद 14
जो अनुसंधान उच्च-आय वाली सेटिंग्स में गहन रूप से प्रतिबंधित या निषिद्ध हो, वे कम-आय वाली सेटिंग्स में भी कार्यान्वित नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट स्थानीय स्थितियों के संदर्भ में अपवादों को अनुमति दी जा सकती है (उदाहरण के लिए, ऐसी बीमारियां जो उच्च-आय वाले देशों में व्याप्त नहीं हैं)। जब और जहाँ ऐसी विशिष्ट अपवादों का सामना हो, वहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सम्मति आज्ञापत्र "अनुपालन या व्याख्या" का उपयोग किया जाए, यानी स्थानीय हितधारकों और शोधकर्ताओं द्वारा सहमत अपवादों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से न्यायसंगत होना चाहिए और यह इच्छुक पार्टियों के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए।

अनुच्छेद 15
जहां शोध भागीदारी से निन्दा (उदाहरण के लिए यौन संक्रमित बीमारियों पर शोध), अभियोग (जैसे यौन कार्य), भेदभाव या अनिश्चित व्यक्तिगत संकट (जैसे राजनीतिक मान्यताओं पर शोध) हो सकता है, वहाँ स्थानीय साझेदारों के सहमति से अनुसंधान प्रतिभागियों को सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 16
शोध से पहले यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि नई परियोजनाओं के लिए कर्मचारियों (जैसे नर्स या प्रयोगशाला कर्मचारी) या अन्य संसाधनों को प्रयोग में लेने के लिए स्थानीय संसाधनों को क्षीण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा है, तो स्थानीय समुदायों, भागीदारों और प्राधिकारियों के साथ निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और अध्ययन के दौरान इसकी निगरानी की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 17
ऐसी स्थिति जहां स्थानीय पतिस्थिति में पशु कल्याण नियम शोधकर्ता के मूल देश की तुलना में अपर्याप्त या अस्तित्वहीन हैं, वहाँ पशुओं का शोध में प्रयोग सदैव उनके संरक्षण सम्बन्धी उच्च मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 18
ऐसी परिस्थितियों में जहां पर्यावरण संरक्षण और जैविक-संकट संबंधित नियम शोधकर्ता के मूल देश की तुलना में स्थानीय पतिस्थिति में अपर्याप्त या अस्तित्वहीन हैं, वहाँ अनुसंधान सदैव पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी उच्च मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 19
वह शोधकार्य जो शोधकर्ताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा या रक्षा के लिए आपत्तिजनक हो या जहाँ शोधकर्ता को विवेकीय संघर्ष में पड़ने की संभावना हो, वहाँ अनुसंधान दल, स्थानीय भागीदारों और नियोक्ताओं को अनुसंधान आरंभ करने से पहले, अनुरूप संकट-प्रबंधन योजनाओं पर सहमत होना चाहिए।

सत्यनिष्ठा

अनुच्छेद 20
अनुसंधान अवधि कार्यकाल में अध्ययन योजना के कार्यान्वयन, समीक्षा और प्रसार तक, सहकर्मियों के बीच व्यक्तिगत भूमिकाऐं, जिम्मेदारियाँ, और आचरण की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। शोध चर्चा में स्थानीय शोधकर्ताओं के लिए क्षमता-विकास की योजनाओं पर विचार-विमर्श होना चाहिए।

अनुच्छेद 21
निम्न-शैक्षिक मानक, निरक्षरता या भाषा अवरोध किसी भी जानकारी को छिपाने या अपूर्ण रूप में पेश करने का बहाना नहीं बन सकता है। सूचनाओं को हमेशा ईमानदारी और यथासंभव स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिन अनुसंधान प्रतिभागियों को शोध प्रक्रिया और आवश्यकताओं को समझने में कठिनाई हो सकती है, उन्हें सूचित करने के लिए उपयुक्त स्थानीय भाषा को सरल और गैर-संरक्षक शैली में अपनाया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 22
किसी भी राष्ट्र के शोधकर्ता द्वारा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और रिश्वत को स्वीकार या समर्थित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 23
स्थानीय आँकड़ों के निम्न-स्तरीय संरक्षण मानक या अनुपालन प्रक्रिया कभी भी संभावित गोपनीयता उल्लंघनों को सहन करने का बहाना नहीं हो सकता है। अनुसंधान भागीदारी के दौरान जो शोध प्रतिभागी निन्दा, भेदभाव या अभियोग जैसे खतरे की स्थिति में हैं, उनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह नियमावली प्रो. डोरिस श्रोडर के नेतृत्व में ट्रस्ट परियोजना के लिए तैयार किया गया था मौजूदा दिशानिर्देशों ने इस कोड की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कृपया उन वेबसाइट को देखें जिनसे हमने बहुत अधिक प्रेरणा ली है और उनसे लेखकीय और वैश्विक अनुबंध गतिविधियों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: **http://www.globalcodeofconduct.org**.

एथिक्स एंड रिसर्च इंटेग्रिटी सेक्टर, डायरेक्टरेट जनरल फ़ॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, यूरोपीयन कमीशन, फ्रेमवर्क कार्यक्रम में आवेदनों को वित्त पोषित करने के लिए इस संहिता (कोड) को संदर्भ दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित करेगा।

TRUST CONSORTIUM MEMBERS

FERCI

University of Central Lancashire

Foundation Global Values Alliance

ACTION CONTRE LA FAIM

University of the Witwatersrand, Johannesburg

University of Cape Town

SASI South African San Institute

EDCTP

SIGNOSIS RESEARCH & CONSULTANCY

COHRED Council on Health Research for Development

Inserm

PHDA Partners for Health and Development in Africa

UNESCO

TRUST Equitable Research Partnerships

अधिक जानकारी के लिए:

ई-मेल: **globalcodeofconduct@uclan.ac.uk**

वेबसाइट: **www.globalcodeofconduct.org/**

इस परियोजना को यूरोपीयन संघ के होरैज़न 2020 रिसर्च एंड इनोवेशन कार्यक्रम के ग्रांट एग्रीमेंट संख्या 664771 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।